न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 15 / 18 निर्णय दिनांकः—12.09.2019

1. विनोद देवी पुत्री सांवता राम पत्नि संतकुमार निवासी ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर हॉल आबाद ग्राम नुआ हमीरवास तहसील व जिला झुंझूनु राजस्थान।
2. दाखा देवी पुत्री सांवताराम पत्नि शुभकरण जाति जाट निवासी ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर हाल आबाद बिरमी उपतहसील बिसाउ तहसील मलसीसर जिला झुंझूनु राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र सांवताराम
2. राजकुमार पुत्र सांवताराम
3. खेमचन्द पुत्र सांवताराम
4. सुभिता पुत्री सांवताराम
5. मोहनी पुत्री सांवताराम
6. मंजू पुत्री सांवताराम
7. चाना देवी बेवाहा सावंताराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
9. उप पंजीयक महोदय, रामगढ शेखावाटी
10. तहसीलदार (भू. धारक) रामगढ़ शेखावाटी
11. पटवारी पटवार हल्का ठिमोली, तह. रामगढ़ शेखावाटी

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 212 राज. काश्तकारी अनिधनियम एवं सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शीला (प्रार्थीगण की ओर से)
अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा (अप्रार्थीगण की ओर से)

—:निर्णयः—

(निधि सिंह)
खण्ड अधिकारी
गढ़ शेखावाटी

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कृषि भूमि खेत खसरा नं. 163 रकबा 2.71 हैक्टयर व खसरा 8 रकबा 2.78 हैक्टयर प्रार्थीगण व

Scanned by CamScanner

गण संख्या 1 ता 7 की पैतृक कृषि भूमि तथा खेत खसरा नं. 37 रकबा 2.98 यर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 की पैतृक कृषि भूमि वाके ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर में अवस्थित है। जिनका आज तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 संयुक्त रूप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है।

विवादित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 163 रकबा 2.71 हैक्टयर व खेत खसरा 8 रकबा 2.78 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.49 हैक्टयर में से प्रार्थीगण का कमशः 1/9, 1/9 हिस्सा तथा खेत खसरा नम्बर 37 रकबा 2.98 हैक्टयर में प्रार्थीगण का कमशः 1/18, 1/18 हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 का अन्य अप्रार्थीगण के साथ अब संयुक्त रूप से काश्त करना सम्भव नहीं रहा है इसलिए प्रार्थीगण अपना उपरोक्त हिस्सा बाई मीटस एण्ड बाउडंस के विभाजन करवा कर अलग से नींव सीव कायम करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण संख्या ज्यादा होने से व भूमियां अविभाजित होने से अप्रार्थीगण अवैध रूप से वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है। तथा अन्यथा विक्रय करने व दीगर व्यक्ति को अन्तरण करने की धमकी देते है जिसमें अगर वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अन्यथा तौर पर संभव नहीं होगी इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 7, 8 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर उक्त विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2, 4 ता 6 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है, स्वीकार नहीं है पक्षकारान ने आपसी सहमति के आधार पर मौके पर मौखिक रूप से बंटवारा पारिवारिक सेटलमेन्ट के आधार पर कर रखा है पारिवारिक सेटलमेन्ट के आधार पर मौके पर नींव सींव कायम कर अपने अपने हिस्से में कब्जा काश्त पक्षकारान का चला आ रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 विजय कुमार का संयुक्त हिस्सा एक साथ मौके पर मौजूद है प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा मौके पर अलग रूप में स्थित है।

अप्रार्थी संख्या 7 चाना देवी, अप्रार्थी संख्या 5 मोहनी देवी, अप्रार्थी संख्या 4 सुभिता देवी व अप्रार्थी संख्या 6 मंजू देवी ने उपरोक्त कृषि भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात खसरा नम्बर 163 रकबा 2.71 हैक्टयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 2.78 हैक्टयर कुल खसरा दो कुल रकबा 5.49 हैक्टयर में 4/9 हिस्सा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 37 रकबा 2.98 हैक्टयर में 4/18 हिस्सा सम्पूर्ण का हक त्याग अप्रार्थी संख्या 2 व राजकुमार व अप्रार्थी संख्या 3 खेमचन्द के पक्ष में कर दिया जिसका रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 30.07.2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 135 में पृष्ठ संख्या 106 क्रम संख्या 201803502100988

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

जीबद्ध किया गया अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 140 के पृष्ठ संख्या 237 245 पर चस्पा किया गया है उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग के जरिये अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मौके पर कब्जा काश्त कर रहे हैं। उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग के जरिये राजस्व रिकोर्ड में नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोकने के लिये प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर यह गलत निराधार व झूठा दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र याचित सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण स्वयं जमाबंदी में खातेदार दर्ज है व प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को विवादित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है तथा विक्रय करने की व दीगर व्यक्ति को अन्तरण करने की धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 ता 6 ने बहस में कथन किया है कि पक्षकारान ने आपसी सहमति के आधार पर मौके पर मौखिक रूप से बंटवारा पारिवारिक सेटलमेन्ट के आधार पर कर रखा है पारिवारिक सेटलमेन्ट के आधार पर मौके पर नींव सींव कायम कर अपने अपने हिस्से में कब्जा काश्त पक्षकारान का चला आ रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 विजय कुमार का संयुक्त हिस्सा एक साथ मौके पर मौजूद है प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा मौके पर अलग रूप में स्थित है। तथा प्रार्थना पत्र अविधिक रूप से संस्थित है व खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र का आद्योपांत अवलोकन किया गया व तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का स्वयं का नाम जमाबंदी में दर्ज है। जिससे प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण विवादित आराजी में सहखातेदार है तथा प्रार्थीगण को विवादित आराजी विरासतन प्राप्त हुई है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता हैं कि प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार रखते है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 163 रकबा 2.71 हैक्टयर व खेत खसरा 8 रकबा 2.78 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.49 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 37 रकबा 2.98 हैक्टेयर के बेचान पर प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

चूंकि प्रार्थीगण विवादित आराजी में सहखातेदार है, इसलिए भूमि के प्रत्येक इन्च पर प्रार्थीगण का हक है व प्रार्थीगण अपने हिस्से की सीमा तक कब्जे काश्त करने की अधिकारी है, इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थिगण के पक्ष में है। पूर्व में भी न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2018 को अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया है कि वे विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति को परिवर्तित नही करें।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधि
रामगढ़ शेखाव

Scanned by CamScanner

—:आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण विवादित आराजी में सहखातेदार प्रतीत होते है, फलस्वरूप न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.08.18 को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 163 रकबा 2.71 हैक्टयर, खसरा नं. 8 रकबा 2.78 हैक्टयर एवं खसरा नं. 37 रकबा 2.98 हैक्टयर वाके ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ़ शेखावाटी में प्रार्थीगण को अपने हिस्से की सीमा तक आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित नहीं किया जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील मूल पत्रावली वाद के साथ संलग्न हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़शेखावाटी

Scanned by CamScanner